

राजस्थान सरकार
आयोजना (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 3(41) आयो.1/सां./2013

जयपुर, दिनांक:-

1 NOV 2017

-: आज्ञा :-

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के श्री चन्द्र प्रकाश आमेटा, सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.09.2017 के द्वारा दिनांक 31.12.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। श्री आमेटा की जन्मतिथि 20.02.1958 है एवं इनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 27.08.1984 है। इन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम, 1996 के अन्तर्गत 33 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवा पूर्ण कर ली है।

अतः राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री चन्द्र प्रकाश आमेटा, सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर को राज्य सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर दिनांक 31.12.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आमेटा के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/एफआईआर विचाराधीन नहीं है।


आज्ञा से



(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा/सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
7. श्री चन्द्र प्रकाश आमेटा, सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
8. पेंशन प्रकरण पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।
10.  ACP (Plan)


सहायक शासन सचिव